

श्रीमान् उपपंजीयक महोदय,
तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

विषय :- आपत्ति दर्ज करने बावत्।

आवेदक :- आध्यात्मिक पुनरुत्थान आंदोलन (एस आर एम फाउंडेशन ऑफ इंडिया) ऋषिकेश जिला पौड़ी उ.प्र. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी- श्री सचिन्द्रनाथ दुबे पिता- श्री विजय शंकर दुबे निवासी- 643, नरसिंह वार्ड, आमनपुर, मदनमहल, जबलपुर म.प्र.। मोबाईल नं. 9424658529, 7987059714.


“महोदय जी”

निवेदन है कि हमारे संस्थान के स्वामित्व की भूमि :-

- 1) ग्राम घुटिया, पटवारी हल्का तिखारी, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, ~~19/2, 19/3, 19/4~~ एवं
- 2) ग्राम मंगेली, पटवारी हल्का मानेगांव, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 198/1, 193, 154, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 199/1, 214, 217, 211, 185, 150, 192, 199, 199/3

यह कि संस्था आध्यात्मिक पुनरुत्थान आंदोलन ऋषिकेश जिला पौड़ी उ.प्र. के पूर्व कर्मचारी श्री अवधेश पाण्डे पिता- श्री गया प्रसाद पाण्डे निवासी- मानेगांव, ग्राम पंचायत तिखारी स्थाई निवासी- ग्राम सुदीनपुर, पोस्ट राओली, कल्याणपुर, थाना भरतपुर, जिला चित्रकूट, धाम करबी उ.प्र. (आधार कार्ड नं. 5823 8104 7430) थे। उपरोक्त संपत्तियों को संस्था के पूर्व कर्मचारी श्री अवधेश पाण्डे द्वारा अनाधिकृत रूप से विक्रय करने का प्रयास कर रहा है एवं एक अन्य व्यक्ति जी.आर. रामचंद्र मोहन निवासी- भिलाई, छत्तीसगढ़ तथा उसका सहयोगी रियाजुल लतीफ भी संस्था की उपरोक्त वर्णित भूमियों को अनाधिकृत रूप से विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं तथा जी.आर. रामचंद्रमोहन के खिलाफ थाना तखतपुर, बलौदा बाजार, जिला बिलासपुर छ.ग. में भा.द.वि. की धारा 419, 420, 465, 567, 468, 471, 167, 212, 217, 120बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर जेल भेजा गया था। वर्तमान में उक्त व्यक्ति जी.आर. रामचंद्र मोहन जमानत पर है तथा फिर से वह संस्था की भूमियों को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त इन व्यक्तियों के खिलाफ एक एफआईआर क्र. 0294 दिनांक- 29/04/2023 को थाना नोएडा, सेक्टर-9, जिला गौतमबुद्धनगर, उ.प्र. (प्रतिलिपि

आपत्ति
दर्ज
Nk. wal
05/03/24



संलग्न), एक अन्य एफआईआर क्र. 0259 दिनांक- 20/10/2023 को थाना सुनेरा, जिला शाजापुर म.प्र. (प्रतिलिपि संलग्न) एवं एक एफआईआर क्र. 0020 दिनांक- 11/01/2024 को थाना बरगी, जिला जबलपुर (प्रतिलिपि संलग्न) दर्ज कराई गई है एवं पुलिस द्वारा इन सभी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि यदि श्री अवधेश पाण्डे पिता श्री गया प्रसाद पाण्डे, जी.आर. रामचंद्र मोहन, रियाजुल लतीफ एवं किसी अन्य अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था की उपरोक्त भूमियों को विक्रय करने व उक्त भूमियों के विक्रय पत्र का निष्पादन किया जाता है तो उसमें संस्था की आपत्ति दर्ज की जावे एवं संबंधित विक्रय पत्र का पंजीयन न होने दिया जावे तथा संस्था के अधिकृत व्यक्ति के मोबाईल नं. 9424658529, 7987059714 पर सूचित करने का कष्ट करें।

“धन्यवाद”



जबलपुर दिनांक-

(सचिन्द्र नाथ दुबे)

आध्यत्मिक पुनरुत्थान आंदोलन

एस आर एम फाउंडेशन ऑफ इंडिया)

अधिकाेश जिला पोंडी उ.प्र. द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी

मोबाईल नं. 9424658529, 7987059714

संलग्न :-

- 1) खसरो की प्रति।
- 2) अधिकार पत्र।
- 3) एफआईआर की प्रति।
- 4) जी.आर. रामचंद्र मोहन द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को न्यायालय द्वारा शून्य एवं अवैध घोषित किये जाने की निर्णय की प्रति।

13970

70

रसीद दस्तावेज वगैरह

दफ्तर मुकाम

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके उपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो)दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	साधारण रूप से देव आपना आवेदन	25/-	

तारीख 5 MAR 2024

उप-पंजीयक
जबलपर-1 (म.)

0/4



पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग (वाणिज्य कर) मध्य प्रदेश



रसीद

संदर्भ आईडी	34050320244614412
भुगतान संव्यवहार आईडी	PTID0503202462324486
सर्विस	धारा 72 या धारा 73 के अर्थात अपील आवेदन शुल्क
राजस्व मेजर हेड	0030
राजस्व सब मेजर हेड	03
राजस्व माइनर हेड	800
भुगतान का प्रकार	सेवा प्रदाता क्रेडिट सीमा
भुगतान राशि	250
भुगतान किया गया	dilip kunar jain
संफदा में भुगतान प्राप्ति की तिथि	05-03-2024 04:15 pm
उपयोग की स्थिति	NOT CONSUMED
प्रकरण संख्या	NA
पार्टी का नाम	NA
कार्यालय का नाम जहाँ उपयोग किया गया	NA
उपयोगकर्ता का नाम	NA